न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास श्री दीपक नन्दी आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या: 27/2021/अपील/एलआरएक्ट/केम्प कोर्ट बूंदी

दायरा दिनांक: 8.1..2021

अन्तर्गत धारा: 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उनवान

1– मदनलाल आत्मज धन्नालाल जाति ब्राहमण (मृतक) जरिये कायम मुकामान––

1/1– रामनिवास आत्मज मदनलाल

1/2– भीमराज आ0 मदनलाल

1/3– दुर्गाशंकर आ0 मदनलाल

जातियान ब्राहमण निवासीगण मण्डावरा तह0 व जिला बूंदी।

2– किशनलाल आ0 भंवरलाल जाति ब्राहमण निवासी मण्डावरा

3– बृजराज सिंह आ0 कुलदीप सिंह जाति जाति जटसिक्ख निवासी मण्डावरा तहसील व जिला बूंदी।

...अपीलार्थीण

बनाम

1– प्रधानाचार्य राजकीय उच्च आर्दश मा0 विघालय ग्राम मण्डावरा तहसील व जिला बूंदी।

2– राज0 सरकार जरिये तहसीलदार बूदी जिला बूंदी।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री कैलाश गुप्ता अभिभाषक–अपीलार्थी
पैरोकार सरकार --रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 11.3.2022

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर बूंदी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित आदेश संख्या 60 दिनांक 8.8.2019 कमांक–प.12–3(30)राजस्व/2018/3858–63 दिनांक 8.8.2019 से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी के साथ व्यथित पक्षकार होना वर्णित करते हुए इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि जिला कलक्टर बून्दी द्वारा आदेश कमांक–प.12–3(30)राजस्व/2018/3858 –63 दिनांक 8.8.2019 से भूमि खसरा संख्या 9 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा एवं खसरा संख्या 10 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा में से 5 बीघा कुल रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा भूमि वाके ग्राम मण्डावरा का आवंटन राजकीय उच्च आर्दश मा0 विघालय ग्राम मण्डावरा के खेल मैदान हेतु कर दिए जाने से अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 सी0पी0सी0 व्यथित पक्षकार होना वर्णित करते हुए इस आशय के साथ पेश की गई कि जिला कलक्टर बून्दी ने भूमि की किस्म परिवर्तन किए बिना ही खेल मैदान हेतु राजकीय सिवायचक भूमि का आवंटन कर दिया जो गैर कानूनी है। आवंटन भूमि उबड–खाबड, असमतल खाल दरडा होने से खेल मैदान के लिए किसी भी प्रकार से उपयुक्त नहीं है। आवंटन भूमि के उपर होकर हाईटेंशन विद्युत लाईन एवं 11 के0वी0 विद्युत लाईन निकली हुई है तथा बिजली के टावर लगे हुए होने से विद्यार्थियों के खेल के समय जान का खतरा बना रहेगा। भूमि में आस–पास के खेतों का 3–4 किलोमीटर दूर तक बरसाती पानी नाले के रूप में बहकर आता है। जिससे बरसात कि समय भूमि में बहाव बना रहता है उक्त भूमि में सी0सी0 रोड सडक एवं डामर सडक रास्ता सदैव से बना हुआ है। भूमि खसरा संख्या 8 में गांव का श्मशान बना हुआ है जिसमें मुर्दो को जलाया जाता है। सरपंच ने भी आवंटित भूमि को खेल मैदान के लिए उपयुक्त नहीं होने के बावजूद प्रमाण पत्र जारी किया है जिसका आशय विवादित आवंटन को खारिज करवाया जाना है। आवंटित भूमि अपीलांट किशनलाल, मदनलाल, बृजराज सिंह के खाते की भूमि से अडी हुई है जो एक समीपवर्ती पट्टी है जिस पर दो बीघा भूमि पर अपीलांट किशनलाल 3 बीघा भूमि पर मदनलाल तथा शेष भूमि पर बृजराज सिंह निरन्तर 50 वर्षो से भी अधिक समय से काबिजकाश्त चले आ रहे है। ऐसी स्थिति में अपीलांट नियमन करवाने के अधिकारी है। जिला कलक्टर बून्दी ने जेरअपील आदेश अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित किया है। अतः अपील

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त कर अपील विषयक भूमि नियमन किए जाने के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की गई है।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलांट एंव पैरोकार सरकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि जेरअपील आदेश में वर्णित भूमि अपीलार्थीगण के खाते की भूमि के समीप होने एवं आवंटित भूमि पर अपीलार्थीगण का 50 वर्षो से कब्जा काश्त होने से नियमन कराने के अधिकारी है तथा प्रकरण मे अपीलांट प्रभावित पक्षकार है। जिला कलक्टर बून्दी ने अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिए बिना जेरअपील आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वांत के विपरित है। बहस मे आगे प्रकट किया कि आवटित भूमि उबड–खाबड, असमतल खाल दरडा एवं भूमि के उपर से हाईटेंशन विद्युत लाईन एवं 11 के0वी0 विद्युत लाईन व बिजली के टावर लगे हुए होने से विद्यार्थियों के खेल मैदान हेतु उपर्युक्त नही है क्योंकि हमेशा खतरा बना रहेगा। भूमि में आस–पास के खेतों का 3–4 किलोमीटर दूर तक बरसाती पानी नाले के रूप में बहकर आता है तथा बरसात के समय बहाव बना रहता है। उक्त भूमि में सी0सी0 रोड एवं डामर सडक रास्ता बना हुआ है तथा पास के खसरा संख्या 8 में गांव का शमशान बना हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना जेर अपील आदेश पारित कर त्रुटि की। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरूद्ध एव प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से खारिज करने का अनुरोध किया।

4 रेस्पो0 पैरोकार सरकार ने बहस मे बताया कि आवंटित भूमि सरकारी भूमि है जिस पर अपीलार्थीगण को कानूनी रूप से कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही होते है ऐसी स्थिति मे जेरअपील आदेश से अपीलार्थीगण किसी भी प्रकार से व्यथित/प्रभावित पक्षकार नही है। लिहाजा अपील का गुणावगुण पर विचार करने से पूर्व प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी पोषणीय नही होने से खारिज किया जाकर तद्नुसार अपील अपीलार्थीगण खारिज की जाने का अनुरोध किया।

5 हमने अपील एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव पैरोकार सरकार पर मनन किया। अपीलार्थीगण द्वारा जिला कलक्टर बूंदी के आदेश संख्या 60 दिनांक 8.8.2019 क्रमांक–प.12–3(30)राजस्व/2018/3858–63 दिनांक 8.8.2019 से व्यथित पक्षकार होना वर्णित करते हुये अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी के साथ इस न्यायालय मे पेश की गई है। ऐसी स्थिति मे अपील का गुणावगुण पर विचार कर निर्णित करने से पूर्व प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी का निस्तारण किया जाना न्यायोचित है। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी मे वर्णित किया है कि आवंटित भूमि अपीलांट के खाते की भूमि के एक समीपवर्ती पट्टी है जिस पर अपीलांट्स 50 वर्षो से काबिज काश्त चले आ रहे है। समीपवर्ती भूमि होने से अपीलांट नियमन कराने के अधिकारी है। नियमन का अधिकार निर्णित किये बिना अन्य संस्था को भूमि आवंटित किया जाना सर्वथा नियम विरूद्ध है। अतः अपीलांट्स व्यथित पक्षकार होने से अपील प्रस्तुत करने की इजाजत बावत प्रार्थना पत्र पेश कर अपील पेश की गई है। प्रार्थना पत्र के संबध मे जेरअपील आदेश दिनांक 8.8.2019 तथा पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख/राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि अपीलग्रस्त भूमि खसरा संख्या 9 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा एवं खसरा संख्या 10 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा में से 5 बीघा कुल रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा भूमि वाके ग्राम मण्डावरा का आवंटन राजकीय उच्च आर्दश मा0 विद्यालय ग्राम मण्डावरा के खेल मैदान हेतु आवंटित की गई है। उक्त आवंटित भूमि सरकारी गै.मु.दर्जा होने से उक्त भूमि पर अपीलांट्स को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही होते है। जहां तक नियमन का अधिकार निर्णित किये बिना भूमि को संस्था को आवंटित करने का प्रश्न है इस संबध मे अपीलांट्स द्वारा नियमन के संबध मे सक्षम न्यायालय मे किसी प्रकार की कोई चाराचोही की हो ऐसा कोई दस्तावेज/आधार अभिलेख पत्रावली मे उपलब्ध नही है। अतः अपीलग्रस्त भूमि से अपीलार्थीगण का व्यथित/प्रभावित पक्षकार होना प्रमाणित नही होता है। लिहाजा उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलांट्स द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी आधारहीन होने से खारिज किया जाता है तथा तद्नुसार अपील अपीलांट पोषणीय नही होने से खारिज की जाती है।

6 निर्णय आज दिनांक 11.3.2022 को केम्प कोर्ट बूंदी मे मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(दीपक नन्दी)
संभागीय आयुक्त
कोटा